न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 47/20 (वाद)
GCMS No. : 2020/00087

1. श्री नारायण पिता जयचन्द गाडरी निवासी चायलों का खेडा, तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री गोदा पिता रोडा गाडरी, जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी चायलों का खेडा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती जडावबाई पिता जयचन्द गाडरी, जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी चायलों का खेडा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती चुन्नीबाई पिता जयचन्द गाडरी, जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी चायलों का खेडा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
4. पटवारी, पटवार हल्का ईन्टाली तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
5. श्री तहसीलदार सा. तहसील मावली, जिला–उदयपुर

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री नाथुलाल गर्ग, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 11.02.2021

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चायलों का खेडा पटवार हल्का ईण्टाली की परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 4089 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्डनुसार गोदा व नारायण के नाम राजस्व रेकार्ड में हिस्सेनुसार दर्ज हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 4045, 4048, 4050, 4053, 4054, 4055, 4081, 4082, 4218, 4225, 4227, 4233 किता 12 रकबा 32 बीघा 4 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्डनुसार गोदा व नारायण के नाम राजस्व रेकार्ड में हिस्सेनुसार दर्ज हैं। परिशिष्ट से में वर्णित आराजी नम्बर 3923 रकबा 1 बीघा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्डनुसार गोदा व नारायण के नाम राजस्व रेकार्ड में हिस्सेनुसार दर्ज है। परिशिष्ट द में वर्णित आराजी नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.02.14 13:26:47 IST
Reason: SelfAttested

4214, 4215, 4216, 4217 किता 4 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्डनुसार गोदा पिता रोडा गाडरी सा. देह खातेदार के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं परिशिष्ट य में वर्णित आराजी नम्बर 4044, 4051, 4052 किता 3 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्डनुसार गोदा व नारायण के नाम राजस्व रेकार्ड में हिस्सेनुसार दर्ज हैं। परिशिष्ट र में वर्णित आराजी नम्बर 4232, 4238 किता 2 रकबा 10 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्डनुसार गोदा व नारायण के नाम राजस्व रेकार्ड में हिस्सेनुसार दर्ज हैं।

2. यह कि हमारे परिवार का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :—

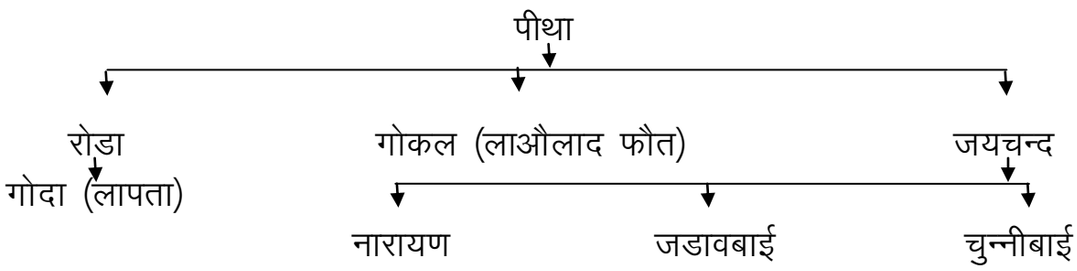

3. यह कि प्रतिवादी सं. 1 गोदा पिछले 40 वर्षों से गांव चायलों का खेडा में नही रहकर कही अन्यत्र चला गया हैं जिसका कोई अता पता नहीं हैं। गोदा जी के नाम दर्ज भूमि का गोदा जी के चले जाने के बाद मेरे द्वारा ही वर्तमान में उपयोग उपभोग में ली जा रही हैं। गोदा जी अविवाहित ही गांव छोडकर लापता हो गये है जिस कारण गोदा जी का एकमात्र मैं विधिक वारिस होकर उनकी चल अचल सम्पति का उपयोग उपभोग कर रहा हुं।

4. यह कि कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का हमारे मूल पुरूष पीथा जी की मृत्यु होने से विरासत से उनके पुत्र रोडा गोकल व मेरे पिता जयचन्द के नाम दर्ज हुई। रोडा जी की मृत्यु होने से रोडा जी के बजाय प्रतिवादी सं. 1 गोदा एवं गोकल लाऔलाद फौत होने से गोकल जी की जमीन गोदा व मुझ वादी नारायण व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हुई हैं।

5. यह कि प्रतिवादी सं. 1 आज से करीब 40 वर्ष पूर्व घर से बिना बताये कहीं चले गये एवं वर्तमान में भी उनका कोई अता पता नहीं हैं। काफी खोजने पर भी उनका किसी भी प्रकार कोई पता या जानकारी नहीं मिल पाई। ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र वाद पत्र के [illegible] हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.02.14 13:26:47 IST
Reason: SelfAttested

6. यह कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति की 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती है वह जीवित होकर कहां पर है तो अधिनियम के अन्तर्गत सिविल मृत माना जाता है इस कारण भी वादी प्रतिवादी सं. 1 की समस्त चल अचल सम्पति को अपने नाम पर घोषित करवाने की अधिकारी हैं।

7. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 के लापता होने के साथ ही कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात पर कृषि कार्य कर रहा हैं एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सम्पूर्ण कृषि भूमि पर अपना कब्जा एवं आधिपत्य बना रखा है एडवर्स पजेशन के आधार पर वादी अपने लापता चचेरे भाई की सम्पति को अपने नाम पर घोषित करवाने का कानूनन अधिकारी हैं।

8. यह कि वर्तमान में कलम संख्या 1 के परिशिष्ट (अ), (ब), (स), (द), (य), (र) में मुझ वादी का नाम भी राजस्व रेकार्ड में सहखातेदार के रूप में दर्ज हैं। गोदा का मूल वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के अलावा अन्य कोई विधिक वारिस नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 के सात वर्ष से अधिक समय से लापता होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादी व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के साथ सहखातेदार के रूप में होना चाहिए।

9. यह कि उक्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी का चचेरा भाई है परन्तु उसके लम्बे समय से अविवाहित होकर लापता होने के कारण वादी को उसकी सम्पति अपने नाम पर दर्ज कराने का विधिक अधिकार प्राप्त हैं।

10. यह कि उक्त आराजीयात मुझ वादी के नाम मुझ वादी को कानूनन सम्बन्धी अनेकों समस्या का सामना करना पडता है जिसमें ऋण लेने एवं अन्य कानूनी दायित्वों की पूर्ति करना भी सम्मिलित हैं।

11. यह कि मुझ वादी का प्राइमाफैसी मुकदमा है, चुंकि प्रतिवादी संख्या 1 अविवाहित होकर 40 वर्षों से लापता हैं। प्रतिवादी संख्या 1 का मैं एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 विधिक वारिस होकर उसके नाम दर्ज भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। विधिक वारिस होने से कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का हिस्सेनुसार अपने नाम पर दर्ज करवाने का अधिकार रखते हैं। यदि कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा मुझ वादी का इन्द्राज नहीं किया गया तो उससे होने वाली क्षति का आंकलन रूपयों पैसों में नहीं किया जा सकेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.02.14 13:26:47 IST
Reason: SelfAttested

12. यह कि वाद कारण तारीख 25.11.2020 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का के पास नकल लेने गया तो बताया कि गोदा के नाम की भूमि तुम्हारे नाम दर्ज कराने के लिए आदेश लाना पडेगा, तब से जारी हैं।
13. अतः प्रार्थना है कि मुझ वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि :–(अ) यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का मुझ वादी को गोदा के बजाय खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। (ब) यह कि प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि वे वाद की कलम संख्या 1 में अंकित आराजीयात में वादी को अपने हिस्से व कब्जे की जमीन का उपयोग उपभोग करने से नहीं रोके, न कोई अवरोध पैदा करे, न कोई नुकसान कारित करे।
14. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गयें। प्रतिवादी सं. 1 लापता होने से सम्मन अखबार में प्रकाशित करवाये गये, बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा जवाब नहीं देना चाहकर वादी के वाद को स्वीकार किया। वादी व प्रतिवादी सं. 2 द्वारा आपसी राजीनामा पेश किया। राजीनामा तस्दीक किया गया।
15. वादी द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी पीडब्ल्यू 1 श्री नारायण पेश हुआ।
16. वादी द्वारा दस्तावेज नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1 से 6, ग्राम पंचायत ईण्टाली का प्रमाण पत्र दिनांक 04.12.2020 प्रदर्श 7, नामान्तरकरण नकल प्रदर्श 8, तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट में पर्चा मौका प्रदर्श 9, तहसीलदार की रिपोर्ट प्रदर्श 10, अखबार सम्मन की कॉपी प्रदर्श 11 पेश कियें।
17. प्रकरण में अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी सं. 2 की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा नजीर X-2011(4) 68 (H.C. Section) Janki Mahto and Ors. Vs Archana Kumari पेश कर अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा आपसी राजीनामा अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा अपनी बहस में राजीनामा अनुसार वाद को स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.02.14 13:26:47 IST
Reason: SelfAttested

18. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी सं. 2 की बहस पर बगौर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत नजीर का गहनता से अध्ययन किया। वादी व प्रतिवादी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत राजीनामें का अध्ययन किया। वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण पैतृक सम्पति होना बताया जो पूर्व में मौरूस पीथा के समय से चली आना बताया हैं। पीथा के तीन पुत्र रोडा, गोकल व जयचन्द हुए। वादी व प्रतिवादी सं. 2, 3 जयचन्द के वारिस हैं। गोकल लाऔलाद फौत हो चुका हैं। रोडा की भी मृत्यु हो चुकी हैं जिसका एकमात्र वारिस प्रतिवादी सं. 1 गोदा हुआ जो अविवाहित होकर पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से लापता हैं। गोकल लाऔलाद फौत होने से उसके हिस्से की भूमि जरिये नामान्तरकरण दस्तावेज प्रदर्श 8 से वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम दर्ज हो चुकी हैं।

19. वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 गोदा के लापता होने से पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से वादी का कब्जा होना बताया हैं। वादी द्वारा भूमि का लगातार उपयोग उपभोग व कृषि कार्य आदि करना बताया हैं। प्रतिवादी सं. 1 गोदा वादी नारायण के काका का लडका होकर भाई हैं गोदा के वारिसों में वादी व प्रतिवादी सं. 2, 3 निकटम विधिक वारिस हैं। इनके अलावा गोदा के अन्य कोई वारिस नहीं होना बताया हैं। गोदा पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से लापता हैं जिसका कोई अता पता नहीं हैं। सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पर वादी कृषि कर रहा हैं, भूमि गोदा के नाम होने से वादी को कृषि कार्य के विकास करने में कानूनी रूप से कठिनाई आ रही हैं।

20. वादी द्वारा दस्तावेज के रूप में ग्राम पंचायत ईण्टाली का प्रमाण पत्र दिनांक 04.12.2020 प्रदर्श 7 पेश किया, उक्त दस्तावेज में ग्राम पंचायत द्वारा गोदा के लगभग 40 वर्षों से लापता होकर अविवाहित होने व विधिक वारिसों में वादी व प्रतिवादी सं. 2, 3 को ही वारिस बताया हैं। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार मावली से भी जांच करवाई गई। तहसीलदार मावली द्वारा पत्र क्रमांक 101 दिनांक 05.02.2021 प्रदर्श 10 रिपोर्ट पेश कर बताया कि गोदा पिछले 40 वर्षों से लापता हैं जिसका आदिनांक तक कोई अता पता नहीं हैं। इसी प्रकार तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट के साथ संलग्न पर्चा मौका प्रदर्श 9 पेश किया जिसमें पर्चे मौके में गोदा के अविवाहित होकर 40 वर्षों से लापता होने का अंकन कर रखा है, जिस पर मौतबिरानों के हस्ताक्षर हैं। न्यायालय से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Puhadia
Date: 2021.02.14 13:26:47 IST
Reason: SelfAttested

गोदा के लापता होने से इसकी सूचना नोटिस के रूप में समाचार पत्र दिनांक 13.01.2021 प्रदर्श 11 में भी करवाई गई।

21. उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि गोदा अविवाहित होकर पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से लापता हैं। गोदा का कोई अता पता नहीं हैं। वादी ने गोदा के 40 वर्षों से लापता होकर वादी व प्रतिवादी सं. 2, 3 इसके विधिक वारिस होने का तथ्य अपने दस्तावेजों के माध्यम से साबित कराने में सफल रहा हैं। माननीय न्यायालय की नजीर X-2011(4) 68 (H.C. Section) Janki Mahto and Ors. Vs Archana Kumari and Anr. Indian Evidence Act, 1872- Section 108- Presumption-Held-Presumption under Section 108 Would arise Only after lapse court of 7 years-It enables the courts to draw the statutory presumption that a man is not alive in the facts and circumstances put forth-This presumption will be drawn unless the contrary is proved. न्यायालय की नजीर इस प्रकरण पर हुबहु चस्पा होती हैं। 7 वर्षों से अधिक समय से लापता होने से उसे मृतक माना गया हैं। अतः प्रतिवादी सं. 1 गोदा पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से लापता हैं। अतः इस आधार पर गोदा न्यायालय की नजीर अनुसार मृतक की श्रेणी में आता हैं। अतः गोदा की भूमि को उसके विधिक वारिसान वादी व प्रतिवादी सं. 2, 3 अपने नाम कराने के अधिकारी हैं। वादी व प्रतिवादी सं. 2 द्वारा इस बाबत् राजीनामा भी पेश किया है जो तस्दीक किया जा चुका हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद आपसी राजीनामा अनुसार आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी राजीनामा अनुसार आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा चायलों का खेडा पटवार हल्का ईण्टाली के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 4089 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा, परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 4045, 4048, 4050, 4053, 4054, 4055, 4081, 4082, 4218, 4225, 4227, 4233 किता 12 रकबा 32 बीघा 4 बिस्वा, परिशिष्ट स में वर्णित आराजी नम्बर 3923 रकबा 1 बीघा, परिशिष्ट द में वर्णित आराजी नम्बर 4214, 4215, 4216, 4217 किता 4 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा, परिशिष्ट य में वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puniadia
Date: 2021.02.14 13:26:47 IST
Reason: SelfAttested

आराजी नम्बर 4044, 4051, 4052 किता 3 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा एवं परिशिष्ट र में वर्णित आराजी नम्बर 4232, 4238 किता 2 रकबा 10 बिस्वा भूमि में खातेदार गोदा के बजाय वादी श्री नारायण, प्रतिवादी सं. 2 श्रीमती जडावबाई एवं प्रतिवादी सं. 3 श्रीमती चुन्नीबाई को हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.02.14 13:26:47 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री नारायण पिता जयचन्द गाडरी निवासी चायलों का खेडा, तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री गोदा पिता रोडा गाडरी, जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी चायलों का खेडा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती जडावबाई पिता जयचन्द गाडरी, जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी चायलों का खेडा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती चुन्नीबाई पिता जयचन्द गाडरी, जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी चायलों का खेडा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
4. पटवारी, पटवार हल्का ईन्टाली तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
5. श्री तहसीलदार सा. तहसील मावली, जिला–उदयपुर

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 47/20 (वाद) GCMS No. : 2020/00087

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी राजीनामा अनुसार आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा चायलों का खेडा पटवार हल्का ईण्टाली के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 4089 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा, परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 4045, 4048, 4050, 4053, 4054, 4055, 4081, 4082, 4218, 4225, 4227, 4233 किता 12 रकबा 32 बीघा 4 बिस्वा, परिशिष्ट स में वर्णित आराजी नम्बर 3923 रकबा 1 बीघा, परिशिष्ट द में वर्णित आराजी नम्बर 4216, 4217 किता 4 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा, परिशिष्ट य में वर्णित आराजी नम्बर 4044, 4051, 4052 किता 3 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा व परिशिष्ट ल में वर्णित आराजी नम्बर 4232, 4238

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chand Punadia
Date: 2021.02.14 13:20:17 IST
Reason: SelfAttested

किता 2 रकबा 10 बिस्वा भूमि में खातेदार गोदा के बजाय वादी श्री नारायण, प्रतिवादी सं. 2 श्रीमती जडावबाई एवं प्रतिवादी सं. 3 श्रीमती चुन्नीबाई को हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 11.02.2021 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.02.14 13:26:47 IST
Reason: SelfAttested